

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 123/2017

- नारायण हृदयालय अस्पताल, सेक्टर-28, रंगा सांगा मार्ग, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर सुविधा निदेशक के माध्यम से।
- डॉ. आलोक माथुर, सलाहकार कार्डिक सर्जन, नारायण हृदयालय अस्पताल, सेक्टर- 28, राणा सांगा मार्ग, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- सत्यनारायण शर्मा पुत्र भंवरगोपाल शर्मा, निवासी बफनो का मोहल्ला, पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
- योगेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भवरगोपाल शर्मा, निवासी बफनो का मोहल्ला, पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
- श्रीमती. रंजीता जोशी पुत्री भंवरगोपाल शर्मा पत्नी पुष्पेंद्र सिंह, निवासी बफनो का मोहल्ला, पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
- हनी शर्मा का बेटा सत्यनारायण शर्मा, अपने पिता और प्राकृतिक संरक्षक श्री सत्यनारायण शर्मा के माध्यम से नाबालिग, निवासी बफनो का मोहल्ला, पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
- श्रेयांस शर्मा का बेटा सत्यनारायण शर्मा, अपने पिता और प्राकृतिक संरक्षक श्री सत्यनारायण शर्मा के माध्यम से नाबालिग, निवासी बफनो का मोहल्ला, पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

उत्तरदाता /अभियोगी

- किशनगढ़ मार्बल उद्योग विकास समिति, मदनगंज किशनगढ़ अध्यक्ष के माध्यम से।
- मार्बल सिटी हॉस्पिटल मदनगंज, किशनगढ़ प्रभारी डॉ. एम.के. बोहरा के माध्यम से।
- डॉ. आर.पी. गर्ग फिजिशियन, मार्बल सिटी हॉस्पिटल, मदनगंज, किशनगढ़।
- राजस्थान राज्य, जिला कलेक्टर अजमेर के माध्यम से।
- जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अधीक्षक, अजमेर के माध्यम से।
- डॉ. आर.के. गोखरू, कार्डियो प्रोफेसर, हृदय रोग विभाग, जेएलएन अस्पताल, अजमेर।

-----उत्तरदाता /बचाव पक्ष

याचिकाकर्ता (यों) के लिए	:	श्री.के.एम.माथुर
प्रतिवादी / प्रतिवादियों के लिए	:	श्री देवांशु शर्मा, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5

माननीय श्री न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन
आदेश

रिपोर्ट योग्य

21/02/2024

1. तत्काल एस.बी. सिविल पुनरीक्षण याचिका सिविल सूट संख्या 46/2014 में दिनांक 06.03.2017 के आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसका शीर्षक "सत्यनारायण एवं अन्य बनाम किशनगढ़ मार्बल उद्योग विकास एवं अन्य" है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, किशनगढ़ ने याचिकाकर्ताओं, जिन्हें प्रतिवादी संख्या 7 और 8 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, द्वारा प्रस्तुत सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया था।
2. भंवर गोपाल शर्मा के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा घातक दुर्घटना अधिनियम, 1885 की धारा 1-ए और 2 के अंतर्गत एक दीवानी वाद इस आधार पर दायर किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 5 से 8 द्वारा भंवर गोपाल शर्मा के उपचार में लापरवाही के कारण 31.03.2014 को भंवरगोपाल शर्मा की मृत्यु हो गई। वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने प्रतिवादियों, जिनमें प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 4 शामिल हैं, से ₹90,00,000/- के मुआवजे का दावा किया है।
3. इस सिविल मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, वर्तमान याचिकाकर्ताओं, जिन्हें प्रतिवादी संख्या 7 और 8 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत एक आवेदन इस आधार पर दायर किया गया था कि वादी का वाद घातक दुर्घटना अधिनियम, 1885 के अंतर्गत पोषणीय नहीं है और वर्तमान याचिकाकर्ताओं का प्रतिवादी संख्या 1 से 6 से कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, वाद हेतुक जिला न्यायालय, किशनगढ़ (अजमेर) के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न नहीं हुआ था। वाद हेतुक के गलत संयोजन पर भी आपत्ति की गई थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि वाद हेतुक आंशिक रूप से किशनगढ़ और आंशिक रूप से जयपुर के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ था, अतः वाद पोषणीय है। उपरोक्त से व्यथित होकर, यह पुनरीक्षण याचिका इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने पुनरीक्षण याचिका के आधार पर दलील दी कि याचिकाकर्ता निर्विवाद रूप से जयपुर के अधिकार क्षेत्र में कारोबार कर रहे हैं और किशनगढ़, अजमेर में उनकी कोई शाखा नहीं है और इलाज में लापरवाही के लिए किशनगढ़ (अजमेर) के अधिकार क्षेत्र में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी दलील दी कि वादी के बयान से भी पता चलता है कि

याचिकाकर्ताओं ने किशनगढ़ में कोई इलाज नहीं कराया, इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनता है और ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार न करके गलती की है। उन्होंने यह भी दलील दी कि कथित चिकित्सीय लापरवाही के मामले में सिविल कोर्ट में घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी दलील दी कि ट्रायल कोर्ट इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा है कि कार्रवाई के कई कारण एक साथ जुड़े हुए थे और जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर किया गया उन्होंने विशेष रूप से प्रस्तुत किया कि किशनगढ़ (अजमेर) की अदालतों को किसी भी विषय पर निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कोई कार्रवाई का कारण नहीं उठा है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का जयपुर में व्यवसाय है, इसलिए, कार्रवाई के कारण के गलत संयोजन के आधार पर और कार्रवाई के कारण की अनुपस्थिति में, मुकदमा दायर किया गया था और यह आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज होने योग्य है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सार्जेंट एसएस शेखावत और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2009 डब्ल्यू.एल.सी (राजस्थान) यूसी 50 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि यदि मृत्यु जयपुर में हुई थी, तो किशनगढ़ (अजमेर) में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पोपट और कोटेचा प्रॉपर्टी बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन 2005 (4) आर.सी.आर (सिविल) एससी 334 और सोपान सुखदेव साबले बनाम सहायक चैरिटी कमिश्नर (2004) 3 एससीसी 137 के मामले में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि जब मुकदमा कानून द्वारा वर्जित है और इसमें कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है तो उसे सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया जाना आवश्यक है।

5. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 (वादी) के विद्वान अधिवक्ताओं ने उपरोक्त तर्कों का इस आधार पर विरोध किया कि आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन का निपटारा केवल वादपत्र में दिए गए कथनों के आधार पर किया जाना आवश्यक है, न कि प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत बचाव के आधार पर। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विभिन्न क्षेत्राधिकारों में निरन्तर वाद हेतुक उत्पन्न होने की स्थिति में, वादी अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर वाद दायर कर सकते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उपचार में लापरवाही के कारण मृत्यु होने पर, घातक दुर्घटना अधिनियम, 1885 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वादपत्र में वर्तमान याचिकाकर्ताओं की भूमिका को अच्छी तरह से समझाया गया है, इसलिए, निचली अदालत ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन को खारिज करके उचित ही किया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया। साथ ही, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा संदर्भित निर्णयों पर भी विचार किया गया।

7. **सोपान सुखदेव साबले (सुप्रा)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निचली अदालत को वादपत्र को खारिज करने का अधिकार है, जो कानून द्वारा वर्जित है,

लेकिन वादपत्र के किसी भाग को खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही कोई वाद-कारण प्रकट न किया गया हो, इसलिए वादपत्र को समग्र रूप से खारिज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी निर्धारित किया गया कि वादपत्र में दिए गए कथन प्रासंगिक हैं और लिखित बयान में दिए गए तर्क इस स्तर पर पूरी तरह अप्रासंगिक होंगे। निचली अदालत का यह कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि वादपत्र के केवल और अर्थपूर्ण पठन से, आदेश 7 सीपीसी के नियम 11 के खंड (क से घ) में वर्णित कोई भी त्रुटि आकर्षित होती है।

8. पोपट और कोटेचा प्रॉपर्टी (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग मुकदमे के किसी भी चरण में किया जा सकता है, जिसमें वाद दर्ज करने से पहले या प्रतिवादियों को समन जारी करने के बाद भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि दलीलों में ठोस तथ्य अवश्य होने चाहिए। सार्जेंट एस.एस. शेखावत और अन्य (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने यह माना कि जब दुर्घटना गुजरात में हुई हो, तो मुकदमा केवल वहीं सुनवाई योग्य है जहाँ वाद का कारण उत्पन्न हुआ हो, जहाँ प्रतिवादी निवास करते हों और जयपुर की अदालतों को मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मालती सरदार बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य (2016) 3 एससीसी 43** के मामले में, **किरण सिंह एवं अन्य बनाम चमन पासवान एआईआर 1954 एससी 340** के मामले में दिए गए निर्णय पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की है कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रावधान की व्याख्या पीड़ितों के लिए उपचार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के अनुरूप की जानी चाहिए और ऐसे मामले में अति तकनीकी दृष्टिकोण की शायद ही सराहना की जा सकती है।

10. वर्तमान मामले में, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन निम्नलिखित आधारों पर दायर किया गया था:

“(i) सिविल वाद घातक दुर्घटना अधिनियम के अंतर्गत पोषणीय नहीं है और क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी कार्रवाई केवल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता फोरम के समक्ष दायर की जा सकती है।

(ii) याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 7 और 8 का प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के साथ कोई संबंध नहीं है और किशनगढ़ (अजमेर) के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कोई वाद-कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

(iii) कई वाद-कारणों का गलत संयोजन एक दोष है और मुजरिम के विरुद्ध वाद-कारण अन्य प्रतिवादियों से संबंधित नहीं है।”

11. याचिकाकर्ता की पहली आपति **घातक दुर्घटना अधिनियम, 1885** के अंतर्गत दीवानी वाद की पोषणीयता से संबंधित है। घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855, किसी व्यक्ति के कृत्य से, जो कार्रवाई योग्य दोष से हुआ हो, हुई हानि के लिए उसके परिवारों को प्रतिकर

प्रदान करने हेतु अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 1-क, किसी व्यक्ति की मृत्यु से, जो कार्रवाई योग्य दोष से हुई हो, हुई हानि के लिए उसके परिवार को प्रतिकर प्रदान करने हेतु वाद का प्रावधान करती है।

12. अधिनियम में "कार्रवाई योग्य गलती" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन डब्ल्यू डब्ल्यू जोशी बनाम बॉम्बे राज्य (1959) ॥ एलएलजे 485 (बॉम्बे) के मामले में, त्रिपुरा राज्य बनाम पूर्वी बंगाल प्रांत 1951 एससीआर 1 (एससी) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए, "कार्रवाई योग्य गलती" शब्द का अर्थ एक अवैध या अनधिकृत कार्य के रूप में निकाला जा सकता है जो किसी अन्य के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करता है और उसे कानून में कार्रवाई के लिए आधार प्रदान करता है।

13. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा उपभोक्ता विवादों से संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों के समयबद्ध एवं प्रभावी प्रशासन एवं निपटान हेतु प्राधिकरणों की स्थापना हेतु अधिनियमित किया गया था। संपूर्ण अधिनियम में, सिविल न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र, जिसमें उससे आनुषंगिक किसी भी मामले में कोई भी याचिका दायर की जा सकती है, पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

14. सौ रजनी बनाम सौ स्मिता: 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1016 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य: एआईआर 1969 एससी 78 के निर्णय पर विचार किया है, जिसमें सीपीसी की धारा 9 के तहत सिविल प्रकृति के मुकदमे की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र पर रोक के संबंध में संविधान पीठ ने कहा था कि जहां कानून उक्त कानून के तहत बनाए गए विशेष न्यायाधिकरणों के आदेशों को अंतिम रूप देता है, वहां सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाना चाहिए, लेकिन जहां कोई स्पष्ट अपवर्जन नहीं है, वहां उपचारों की जांच और आशय दायर करने के लिए विशेष अधिनियम की योजना आवश्यक हो जाती है और जांच का परिणाम निर्णायक हो सकता है। इस प्रकार, सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अपवर्जन का अनुमान आसानी से नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि निर्धारित शर्तें लागू न हों। पुनः राजस्थान एसआरटीसी बनाम बालमुकुंद (2009) 4 एससीसी 299 के मामले में निर्णय का उल्लेख करते हुए आगे कहा गया कि यह अनुमान है कि सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

15. सौ रजनी बनाम सौ स्मिता (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिन मामलों में किसी कानून द्वारा सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित है, वहाँ परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या कानून के तहत गठित प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के पास वे राहतें देने की शक्ति है जो सिविल न्यायालय सामान्यतः अपने समक्ष दायरवादों में प्रदान करते हैं। इस मुद्दे पर कानून पर विचार करने के बाद, मेरा यह सुविचारित मत है कि घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत वर्तमान सिविल वाद सिविल न्यायालय में विचारणीय है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सहित किसी भी कानून के तहत इस पर प्रतिबंध नहीं है।

16. अब, **क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का प्रश्न** आता है। याचिकाकर्ता, एक स्वास्थ्य सेवा अस्पताल, जिसका व्यवसाय केवल जयपुर में है और याचिकाकर्ताओं के अनुसार, शेष प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के साथ उनकी कोई शाखा या संबंध नहीं है, इसलिए, जयपुर न्यायालय को पक्षकारों के बीच विवाद पर विचार करने और निर्णय देने का विशेष अधिकार है।

17. हमने वादपत्र में दिए गए कथनों का अध्ययन किया है। वादपत्र में ही वादियों ने दलील दी है कि शुरुआत में मरीज भंवर गोपाल शर्मा को अजमेर के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और फिर उन्हें नारायण हृदयालय अस्पताल (प्रतिवादी संख्या 7/ प्रतिवादी संख्या 1) लाया गया, जहाँ वे प्रतिवादी संख्या 8 (याचिकित्सक संख्या 2) की निगरानी और पर्यवेक्षण में रहे। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि 10.02.2014 से 31.03.2014 को मरीज भंवरगोपाल शर्मा की मृत्यु तक वे नारायण हृदयालय अस्पताल में रहे। वादपत्र के पैरा 6 में वादियों ने दावा किया था कि मार्बल सिटी अस्पताल, किशनगढ़ और नारायण हृदयालय अस्पताल दोनों भ्रामक विज्ञापन में लिप्त थे। वादी उपचार की पहली तिथि अर्थात् 04.02.2014 से 31.03.2014 तक वाद में कारण के रूप में शामिल हुए।

18. इस मामले में, शिकायत में प्रतिवादी संख्या 7 और 8 का अन्य प्रतिवादियों से कोई संबंध या रिश्ता नहीं बताया गया है, लेकिन 04.02.2014 से 31.03.2014 के बीच उत्पन्न वाद कारण को एक साथ जोड़ दिया गया और किशनगढ़ (अजमेर) के अधिकार क्षेत्र में हर्जाने के लिए एक वाद दायर किया गया। वाद कारण को एक साथ जोड़ा गया है, हालाँकि प्रतिवादी संख्या 7 और 8 अन्य प्रतिवादियों से जुड़े नहीं हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जहाँ कई प्रतिवादियों के विरुद्ध कई गलत कार्यों का आरोप लगाया गया है, इसलिए ऐसी स्थिति में वाद कारण को विभाजित या अलग करना और विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में सिविल वाद दायर करने की अनुमति देना संभव नहीं है। सीपीसी की धारा 20 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि जिस न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर वाद कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है, उसके पास वाद की सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार होगा। इस प्रकार, विभिन्न प्रतिवादियों के विरुद्ध वाद कारण के संयोजन को देखते हुए, वाद वादी द्वारा लागू किए गए अधिकार क्षेत्र में पोषणीय है।

19. वाद हेतुक का तात्पर्य "वाद करने का अधिकार" या ऐसे भौतिक तथ्यों से है जो वादी के लिए आरोप लगाने और सिद्ध करने हेतु अनिवार्य हैं, जो वाद हेतुक बनते हैं। यूओआई बनाम अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2002) 1 एससीसी 567, कुसुम इंगोर्ट्स बनाम यूओआई (2004) 6 एससीसी 254 और एनटीसी लिमिटेड बनाम हरिबॉक्स स्वालराम (2004) 9 एससीसी 786 के मामलों को इस उद्देश्य के लिए आधार बनाया जा सकता है। प्रेम लाला नाहटा एवं अन्य बनाम चंडी प्रसाद सिकारिया, अपील (सिविल) 446/2007 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि पक्षकारों के गलत संयोजन या वाद हेतु के गलत संयोजन के आधार पर किसी मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि संहिता में ही इसका समाधान पहले ही प्रदान किया जा चुका है।

20. विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि कुछ प्रतिवादी स्थानीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करते हैं या व्यवसाय करते हैं और वाद का आंशिक कारण स्थानीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है। अतः, विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया है। अतः, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

21. परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।

22. विविध आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित माना जाता है।

(अशोक कुमार जैन),जे

चेतना बेहरानी /2

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate